न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
47 / 2020	18.12.2020	30.03.2021

अनवान

1. हंसराज पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कांकरीया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

प्रार्थी

बनाम

1. दिनेशचन्द्र पिता रामचन्द्र मोदी आयु वयस्क निवासी रेलवे स्टेशन कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
2. पृथ्वीराज पिता भवानीराम जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
3. हरिशचन्द्र पिता छोगालाल जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
4. प्रमोद पिता ओमप्रकाश बारेगामा आयु वयस्क निवासी उदयपुर रोड़ कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
5. प्रमोद पिता रामचन्द्र मोदी आयु वयस्क निवासी रेलवे स्टेशन कपासन् तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
6. सुमीत पिता चन्द्रप्रकाश मोदी आयु वयस्क निवासी रेलवे स्टेशन कपासन् तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
7. सुरेश पिता कन्हैयालाल सौमानी आयु वयस्क निवासी कपासन् तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
8. सावित्री पत्नी चन्द्रप्रकाश मोदी आयु वयस्क निवासी रेलवे स्टेशन कपासन् तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
9. दामोदर पुत्र झमकुलाल सौमानी आयु वयस्क निवासी सौमानी मोहल्ला कपासन् तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
10. किशना पिता उदयराम जाट आयु वयस्क निवासी माताजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
11. प्यारा पिता उदयराम जाट आयु वयस्क निवासी माताजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
12. भवानीसिह पिता मदनसिह राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरीया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
13. नारायणसिह पिता गोवर्धनसिह राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरीया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
14. करणसिह पिता गोवर्धनसिह राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरीया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
15. अमरसिह पिता देवीसिह राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरीया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:47:27 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16. देऊ पत्नी पेमा जाति जाट आयु वयस्क निवासी माताजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
17. नोसर पुत्री पेमा जाति जाट आयु वयस्क निवासी माताजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
18. बद्रीलाल पिता पेमा जाति जाट आयु वयस्क निवासी माताजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
19. हीरालाल पिता पेमा जाति जाट आयु वयस्क निवासी माताजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड — प्रार्थी

एक तरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा माताजी का खेडा पटवार हल्का जीतीया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 183 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 236, 237 कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 16 से 19 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है व खाता संख्या 182 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 234, 235 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और शेष अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी अप्राप्त। दिनांक 30.03.2021 को हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में एकतरफा बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने प्रार्थना [illegible] अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश [illegible] किया गया।

हमने पत्रावली का [illegible] किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैर—बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:47:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा माताजी का खेडा पटवार हल्का जीतीया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 183 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 236, 237 व खाता संख्या 182 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 234, 235 कृषि भूमि प्रार्थी फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:47:27 IST
Reason: SelfAttested